बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–विविध–04/2015 3327 /खाद्य, पटना/दिनांक–24/04/15

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– नागारिकों से प्राप्त किये जाने वाले सूचनाओं अथवा आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में आधार नं0, ईपिक नं0, मोबाईल नं0 एवं ई–मेल का प्रावधान किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना का अर्द्धसरकारी पत्र सं0– बी01–3–18/15–1474 दिनांक 17.04.2015 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विभागीय योजनाओं के संबंध में नागारिकों से प्राप्त किये जाने वाले सूचनाओं अथवा आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में आधार नं0, ईपिक नं0, मोबाईल नं0 एवं ई–मेल का प्रावधान किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय । साथ ही आधार नं0, मोबाईल नं0 एवं ई–मेल को ईपिक नं0 से सम्बद्ध किये जाने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय ।

विश्वासभाजन

अनु0:– यथोक्त ।

24/4/2015
सरकार के सचिव ।

D:\@YEAR-2015@\@SEC-06-@\VIVIDH-@.doc

(24)

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015

अजय नायक,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 21 APR 2015 बिहार सरकार

अर्द्धसरकारी पत्रांक : बी1–3–18 / 2015 – 1474
पटना, दिनांक 17 अप्रैल, 2015.

प्रिय पंकज,

इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि निर्वाचक सूची को त्रुटिरहित एवं प्रमाणिक बनाये जाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (NERPAP) का शुभारंभ किया गया है, जिसे बिहार राज्य में भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

उक्त कार्यक्रम के तहत् सभी निर्वाचकों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल पता संग्रहित कर प्रमाणीकरण के पश्चात् ईपिक नम्बर के साथ सम्बद्ध किया जाना है।

निर्वाचकों द्वारा अपने ईपिक नम्बर के विरूद्ध निम्नांकित माध्यमों से आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल प्रविष्ट कराये जाने का प्रावधान किया गया है :–

1. भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट (http://eci.nic.in) अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाईट (http://ceobihar.nic.in) पर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एन.वी.एस.पी.) के माध्यम से
2. एस.एम.एस. के माध्यम से
   ECILINK <space> <EPIC_Number> <space> <Aadhaar_Number>
   and send it to 51969
3. राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर 1800–345–1950 के माध्यम से
4. आधार संख्या एवं ईपिक संख्या से संबंधित दस्तावेज तथा आवेदन बी0एल0ओ0 / ई0आर0ओ0 / ए0ई0आर0ओ0 को समर्पित कर

आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल के संग्रहण का कार्य बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर सर्वेक्षण करा कर किया जा रहा है।

आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल के संग्रहण कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके विभाग के स्तर पर नागरिकों से प्राप्त किये जाने वाले सूचनाओं अथवा आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में आधार नम्बर, ईपिक नम्बर (मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या), मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल का प्रावधान किया जाये तथा इससे मुझे भी अवगत कराया जाये। साथ ही आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल को ईपिक से सम्बद्ध किये जाने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये।

शुभकामनाओं के साथ,

Sd/- 17/4/2015

(अजय नायक)

सेवा में,

श्री पंकज कुमार,
सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

"मजबूत लोकतंत्र – सबकी भागीदारी"